



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 कार्तिक, 1946 (श०)

संख्या - 703 राँची, शुक्रवार, 1 नवम्बर, 2024 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

19 सितम्बर, 2024

अधिसूचना सं०-07/वि०स० (ता०प्र०)-11/2022-6046--झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, हजारीबाग अन्तर्गत विज्ञापन संख्या-01/2019 एवं अन्य जिलों में गृहरक्षकों के नामांकन/नवनामांकन से जुड़े विवादित / निर्णयाधीन मामलों की समीक्षा / जाँच हेतु विभागीय अधिसूचना सं०-5028, दिनांक-04.09.2024 के द्वारा अंतर्विभागीय समिति का गठन किया गया है ।

उक्त अंतर्विभागीय समिति को आंशिक संशोधित करते हुए निम्नरूपेण समिति का गठित किया जाता है:-

- | | |
|--|---------|
| (1) श्री प्रदीप तिग्गा, अपर सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची | अध्यक्ष |
| (2) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार
द्वारा मनोनीत उप सचिव स्तर के पदाधिकारी | सदस्य |
| (3) राजस्व पर्षद, झारखण्ड सरकार द्वारा मनोनीत अवर सचिव स्तर के पदाधिकारी | सदस्य |
| (4) श्री शैलेश कुमार सिन्हा, विशेष कार्य पदाधिकारी, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
झारखण्ड, राँची | सदस्य |

उक्त अधिसूचना संख्या-5028, दिनांक-04.09.2024 की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी ।

प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।
